



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: deangmckhandwa@gmail.com, Website: www.gmckhandwa.org

क्रमांक/ 5786 / स्थापना भर्ती/2024

खण्डवा, दिनांक:- 07/08/2024

// सूचना पत्र //

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/5743/स्थापना भर्ती/2024 खण्डवा दिनांक 06.08.2024 अनुसार दिनांक 12.08.2024 को रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन रेडियोग्राफर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, ड्रेसर-2 एवं लैब अटेंडेंट पद पर अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुये मूलतः दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था, किन्तु मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल के पत्र क्रमांक/02/73/2023/08/प-2/4542/2024 भोपाल दिनांक 25.07.2024 अनुसार समूह-5 के अंतर्गत स्टॉफ नर्स व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2023 की टेक्नीशियन एवं टेक्नीशियन असिस्टेंट पद की संशोधित मेरिट एवं प्रतिक्षा सूची प्राप्त हुई है जिसके अनुसार दिनांक 12.08.2024 को टेक्नीशियन (ई.डब्ल्यू.एस) पद हेतु अमांत्रित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर प्राप्त नवीन संशोधित मेरिट एवं प्रतिक्षा सूची अनुसार टेक्नीशियन (ई.डब्ल्यू.एस.) पद पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को दिनांक 12.08.2024 को मूलतः दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है साथ ही उक्त पद के शेष अभ्यर्थियों के लिए शर्तें यथावत रहेगी।

संशोधित टेक्नीशियन (ई.डब्ल्यू.एस.)

स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम	रोल नंबर	जन्म दिनांक	श्रेणी
1	श्री आदर्श मिश्रा	10941772	14.04.2000	EWS
2	श्री शिव प्रसाद मिश्रा	10941324	03.06.1989	EWS
3	सु श्री रजनी तिवारी	10915589	01.07.1990	EWS

1. आवेदन की प्रति।
2. प्रवेश पत्र की प्रति।
3. परीक्षा परिणाम की प्रति।
4. कक्षा दसवीं अंकसूची की प्रति।
5. कक्षा बारहवीं संबंधित अंकसूची की प्रति।
6. संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति।
7. संबंधित रजिस्ट्रेशन की प्रति।
8. स्नातक/स्नातकोत्तर की प्रति (यदि हो तो)।
9. जाति प्रमाण पत्र (डिजिटल) की प्रति।
10. मूल-निवासी प्रमाण पत्र (डिजिटल) की प्रति।
11. दिव्यांगजन होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति।
12. भूतपूर्व सैनिक हेतु तत्संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।
13. यदि बोनस अंक प्राप्त हो तो तत्संबंधी प्रति।
14. संविदा कर्मचारी होने के संबंध में नियोक्ता द्वारा जारी अनुमति एवं अनापत्ति एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति।
15. यदि आयु में लाभ लिया गया है, तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति।
16. यदि विवाहित हो, तो विवाह संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति/शपथपत्र एवं जीवित संतान का प्रमाण पत्र की प्रति/शपथपत्र।

नोट:-

1. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर डब्ल्यू.पी. क्रमांक 18105/2021 में आदेश दिनांक 04.08.2023 अनुसार ओ.बी.सी. की पदपूर्ति अंतिम निर्णय उपरांत ही की जाना संभव होगी।
2. दस्तावेज सत्यापन में आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
3. दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाये जाने पर ही चयन की आगामी कार्यवाही की जावेगी अतएव अभ्यर्थी इसे चयन का आधार न मानें।

(डॉ. संजय कुमार दादु) 07/08/24

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.महा.खण्डवा

